

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-4694/77-4-23-32रिट/21
लखनऊ : दिनांक 7 अगस्त, 2023

मै0 निम्फिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मै0 निम्फिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा नोएडा में आवंटित भूखण्ड सं0-एससी-02/एल, सेक्टर-150, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस दिनांक 02.03.2020 के विरुद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपटित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रकरण में नोएडा के पत्र दिनांक 12.10.2021 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 09.07.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से श्री कुमार संजय, विशेष कार्याधिकारी द्वारा भौतिक रूप से उपस्थित हुए।

2. उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-41(3) सपटित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 में निम्नवत् प्राविधान है:-

उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-41(3)

The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by the (Authority or the chairman) for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit.

उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12

The provision of Chapter VII and section 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's act (Reenactment with modifications) Act, 1974, shall mutatis mutandis apply to the Authority with adaptation that:-

- (a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this act;
- (b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference; and
- (c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer of the Authority.

3. उक्त डिमाण्ड नोटिस के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या-14318 आफ 2020 दायर की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.10.2020 के द्वारा यह निर्देश दिया कि याची द्वारा प्राधिकरण के समक्ष 02 सप्ताह के अन्दर एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा और प्राधिकरण नियमानुसार उसका निस्तान 04 सप्ताह के अन्दर याची को सुनने के उपरान्त करेगा। उपरोक्त याची द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2020 का निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकरण में दिनांक 09.07.2023 को सुनवाई नियत थी, जिसमें सुनवाई के पूर्व दिनांक 08.07.2023 को याची द्वारा वकील (श्री रवि शंकर नन्दा) के माध्यम से इस विषय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि

याची अपना रिवीजन पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, अतः दिनांक 09.07.2023 को नियत सुनवाई निरस्त की जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत पुनरीक्षण याचिका उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-12 सहपठित उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 की धारा-41 (3) के अन्तर्गत विद्वान करने की अनुमति के साथ निस्तारित की जाती है।

Mans 6.8.23

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या:- 4624(1)/77-4-23 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 निम्फिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 जे-10/5 डीएलएफ फेस II, एमजी रोड, गुरुग्राम, हरियाणा।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से *Shing*

(शैलेन्द्र कुमार)

अनु सचिव।